न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का खेड़लीरेल बनाम लोरखराम | अमरसिंह

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/50 निर्णय दिनाँक :- 25/2/2019

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खेड़लीरेल की आ.ख.न. 1246 कुल रकबा 0.83 किस्म जमीन गै.मु. रास्ता में से 1200 वर्गफुट 0.01 रकबे पर श्री लोरखराम / अमरसिंह मीणा पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर पक्का आवासीय मकान बनाकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का खेड़लीरेल द्वारा दिनॉक 16/8/18 .... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. खेड़लीरेल के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी लोरखराम / अमरसिंह जाति मीणा निवासी राछ्मावता को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी लोरखराम .... उपस्थित आया। जबाव नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 1246 रकबा 0.83 में से 1200 वर्गफुट रकबे किस्म गै.मु. रास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 10 paise का 50 गुणा 5/- Five Rs रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी खेड़लीरेल भू.अ.निरी. खेड़ली को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसीलदार, राज.
कठूमर, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :- प. ह.